जनसत्ता पेज 4
6.10.13

चुनाव आयोग के आदेश से व्यापार को नुकसान पहुंचने का आरोप

50 हजार से ज्यादा रुपए नहीं रखने के निर्देश पर आपत्ति

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर। कान्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त विजय देव को एक पत्र भेज कर उनके द्वारा जारी उस आदेश की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के आगामी चुनावों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की नकद राशि अपने साथ नहीं रख सकेगा। कैट के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना ने आयोग के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस आदेश से दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैट ने इस संबंध में दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र भेज कर मिलने का समय मांगा है।

चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में कैट ने इस आदेश की मूल भावना जिसमें चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने की बात निहित है-से सहमति जताई है और ऐसी प्रवर्ती पर लगाम कसने की जरूरत को भी आवश्यक माना है। साथ में यह भी कहा है कि आयोग के इस आदेश से दिल्ली में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी बाधित होगी। कैट ने कहा है की आज से शुरू हुए त्योहारी सीजन जो मध्य दिसंबर तक चलेगा पर व्यापारियों की अधिक व्यापार होने की आशाएं प्रति वर्ष टिकी होती हैं और इन्हीं दिनों में नकद राशि पर रोक का यह आदेश दिल्ली के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा।

खंडेलवाल और खन्ना ने कहा कि दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र है और प्रतिदिन लाखों लोग अन्य राज्यों से दिल्ली में सामान खरीदने के लिए आते हैं। इस आदेश के बाद ऐसे लोगों का दिल्ली आकर सामान खरीदना काफी हद तक प्रभावित होगा क्योंकि कोई भी व्यापारी बिना मतलब की पूछताछ में पड़ना नहीं चाहता। दोनों व्यापारी नेताओं ने यह भी कहा की आयोग के इस आदेश से दिल्ली के रिटेल बाजार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे क्योंकि दिन भर के व्यापार के बाद इकट्ठा हुई नकद राशि को अपने साथ ले जाने के अलावा व्यापारी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में आयोग के आदेश अनुसार कहीं पर भी किसी को भी रोका जा सकता है। इससे जहां व्यापारी की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे वहीं दूसरी ओर उत्पीड़न की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग के इस आदेश से आने वाले दो महीनों में जहां व्यापारी सीजन की बाट जोह रहे थे वहीं अब व्यापार को नुकसान होने की आशंका को बल मिल रहा है।

नमो मीडिया पेज 3
6.10.13

चुनाव आयोग से समय मांगा

नई दिल्ली। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कॉन्फ़ेडरेशन आफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स ने शनिवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त विजय देव को एक पत्र भेज कर शुक्रवार को उनके जारी उस आदेश की तरफ ध्यान दिलाया है जिसमें उन्होंने ने कहा है की दिल्ली के आगामी चुनावों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति पचास हजार रुपए से अधिक की नकद राशि अपने साथ नहीं रख सकेगा इससे फैसले से व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

आज समाज पेज 4
6.10.13

अधिक राशि लेकर चलने पर प्रतिबंध, व्यापारी परेशान

- केंद्रीय चुनाव आयोग ओर दिल्ली चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली। व्यापारियों के शीर्ष संगठन कांफैडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त विजय देव को एक पत्र भेज कर कल उनके द्वारा जारी उस आदेश की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें उन्होंने ने कहा है की दिल्ली के आगामी चुनावों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक की नकद राशि अपने साथ नहीं रख सकेगा।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना ने आयोग के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की इस आदेश से दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैट ने इस संबंध में दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र भेज कर मिलने का समय मांगा है । चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में कैट ने इस आदेश की मूल भावना जिसमें चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने की बात निहित है से सहमती जताई है और ऐसी प्रवर्ती पर लगाम कसने की जरूरत को भी आवश्यक माना है किन्तु साथ यह भी कहा है की आयोग के इस आदेश से दिल्ली में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी बाधित होगी। कैट ने कहा है की आज से शुरू हुए त्योहारी सीजन जो मध्य दिसंबर तक चलेगा पर व्यापारियों की अधिक व्यापार होने की आशाएं प्रति वर्ष टिकी होती हैं और इन्ही दिनों में नकद राशि पर रोक का यह आदेश दिल्ली के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। व्यापारी नेताओं ने कहा की आयोग के इस आदेश से दिल्ली के रिटेल बाजार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे क्योंकि दिन भर के व्यापार के बाद इकट्ठा हुई नकद राशि को अपने साथ ले जाने के अलावा व्यापारी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं और ऐसे में आयोग के आदेश अनुसार कहीं पर भी किसी को भी रोक जा सकता है। इससे जहां व्यापारी की सुरक्षा पर सवाल खड़े होंगे वही, दूसरी ओर उत्पीडन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

दैनिक भास्कर पेज 2
6.10.13

50 हजार से अधिक राशि रखने के प्रतिबंध से व्यापारी परेशान

नई दिल्ली . कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से शनिवार को मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव को पत्र भेजकर उनसे अपनी समस्या पर बातचीत के लिए समय मांगा गया है। चुनाव आयोग की ओर से आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किसी भी व्यक्ति को 50 हजार रुपए से अधिक की नकद राशि अपने साथ रखने की मनाही है। कैट के महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल व प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना का कहना है कि इस आदेश से व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैट की ओर से इस बारे में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराने के लिए समय मांगा गया है। उधर, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि व्यापारी लेनदेन चेक या सीधे व्यापारी के अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैट ने चुनाव आयोग के आदेश की मूल भावना, जिसमें चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने की बात पर सहमति जताई है और ऐसी परवर्ती पर लगाम कसने की जरूरत को भी आवश्यक माना है। साथ ही व्यापारियों का मानना है कि आयोग के इस आदेश से दिल्ली में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी बाधित होगी। शनिवार से शुरू हुए त्योहारी सीजन जो मध्य दिसम्बर तक चलेगा पर व्यापारियों की उम्मीदें अधिक व्यापार को लेकर साल भर टिकी रहती हैं।

हरिभूमि पेज 4
6.10.13

चुनाव आयुक्त के आदेश से प्रभावित होगा व्यापार : कैट

हरिभूमि न्यूज. नई दिल्ली

व्यापारियों ने केन्द्रीय चुनाव आयोग को लिखा पत्र

व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त विजय देव को पत्र लिखकर दिल्ली के आगामी चुनावों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक की नकद राशि अपने साथ नहीं रख सकेगा, की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रमेश खन्ना ने आयोग के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की इस आदेश से दिल्ली की व्यापारिक गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैट ने इस सम्बन्ध में दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। चुनाव आयोग को भेजे अपने पत्र में कैट ने इस आदेश की मूल भावना, जिसमें चुनाव में धन के प्रभाव को रोकने की बात निहित है, से सहमती जताई है और ऐसी प्रवृति पर लगाम कसने की जरूरत को भी आवश्यक माना है। साथ यह भी कहा है कि त्योहारी सीजन जो मध्य दिसम्बर तक चलेगा पर व्यापारियों की अधिक व्यापार होने की आशाएं प्रति वर्ष टिकी होती हैं। इन्ही दिनों में नकद राशि पर रोक का यह आदेश दिल्ली के व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा। दिल्ली देश का सबसे बड़ा व्यापारिक वितरण केंद्र है और प्रतिदिन लाखों लोग अन्य राज्यों से दिल्ली में सामान खरीदने के लिए आते हैं लेकिन इस आदेश के बाद ऐसे लोगों का दिल्ली आकर सामन खरीदना काफी हद तक प्रभावित होगा क्योंकि कोई भी व्यापारी बिना मतलब की पूछताछ में पड़ना नहीं चाहता।